



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

17 आश्विन, 1942 (श०)

संख्या- 484 राँची, शुक्रवार,

9 अक्टूबर, 2020 (ई०)

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

9 अक्टूबर, 2020/17 आश्विन, 1942 (शक)

सं.100/पूर्व अनु.-1/झार-वि.स./2/2020 :- यतः झारखण्ड राज्य की विधान सभा में 35-बेरमो विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह की मृत्यु हो जाने के परिणामस्वरूप दिनांक 24 मई, 2020 से स्थान रिक्त हो गया है;

2. यतः इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन कराया जाना है;

3. अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150 की उपधारा (1) और धाराओं 30 और 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतदद्वारा:-

(अ) झारखण्ड राज्य से उक्त 35-बेरमो विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि वह 12 नवम्बर, 2020 (बृहस्पतिवार) से पूर्व उक्त अधिनियम के और तद्धीन बनाये गये नियमों और किये गये आदेशों के उपबन्धों के अनुसार राज्य की विधानसभा में हुई उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित करें;

(आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में:-

- | | |
|--|--------------------------------|
| (क) नाम निर्देशन करने की अन्तिम तारीख: | 16 अक्टूबर, 2020 (शुक्रवार); |
| (ख) नाम निर्देशन की संवीक्षा की तारीख: | 17 अक्टूबर, 2020 (शनिवार); |
| (ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख: | 19 अक्टूबर, 2020 (सोमवार); |
| (घ) वह तारीख जिसको, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा: | 3 नवम्बर, 2020 (मंगलवार); और |
| (ङ.) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा: | 12 नवम्बर, 2020 (बृहस्पतिवार); |

नियत करता है; और

(इ) 7:00 बजे पूर्वाह्न से 4:00 बजे अपराह्न तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

आदेश से

(अरविन्द आनन्द)

सचिव

भारत निर्वाचन आयोग

उपरोक्त अधिसूचना का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(राहुल कुमार पुरवार)

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

9th October, 2020/17 Asvina, 1942 (Saka)

No.100/ES-1/JKD-LA/2/2020:- WHEREAS, the seat of Shri Rajendra Prasad Singh, in the Legislative Assembly of the State of Jharkhand, elected from **35-Bermo** Assembly Constituency in the State, has become vacant on **24th May, 2020** by reason of his death; and

2. **WHEREAS**, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;

3. **NOW, THEREFORE**, in pursuance of sub-section (1) of Section 150 and Sections 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby-

(A) **calls upon** the said **35-Bermo** Assembly Constituency in the State of Jharkhand, to elect, before the **12th November, 2020 (Thursday)** and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person, for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State;

(B) **appoints**, with respect to the said election:-

- (a) the 16th October, 2020 (Friday), as the last date for making nominations;
 - (b) the 17th October, 2020 (Saturday), as the date for the scrutiny of nominations;
 - (c) the 19th October, 2020 (Monday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
 - (d) the 3rd November, 2020 (Tuesday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
 - (e) the 12th November, 2020 (Thursday), as the date before which the election shall be completed; **and**
- (C) **fixes the hours from 7.00 A.M. to 4.00 P.M.** as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election.

By order,

(ARVIND ANAND)

SECRETARY

ELECTION COMMISSION OF INDIA
